न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

संख्या : 17/229

छोटू लाल आत्मज गणेश जाति चमार निवासी ग्राम गलाना तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।

––अपीलान्ट

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, लाडपुरा ।
2. जानकी लाल आत्मज गणेश जाति चमार निवासी ग्राम गलाना तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
3. रामपाल आत्मज स्व0 गोपाल जाति मीणा (मृतक) जरिये कायममुकामान :–
   3/1. श्रीमती भूली बाई बेवा रामपाल जाति मीणा ।
   3/2. रामनिवास आत्मज स्व0 रामपाल जाति मीणा ।
   3/3. लोकेश आत्मज स्व0 रामपाल जाति मीणा ।
   3/4. मैना बाई पुत्री स्व0 रामपाल जाति मीणा ।
   3/5. रामभरोसी पुत्री स्व0 रामपाल जाति मीणा ।
   3/6. सोनू बाई पुत्री स्व0 रामपाल जाति मीणा निवासीगण ग्राम गिरधरपुरा तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
4. नन्दा आत्मज स्व0 गोपाल जाति मीणा निवासी ग्राम तूमडा तहसील कनवास जिला कोटा।

––रेस्पोडेन्ट

अपील संख्या : 17/523

जानकी लाल पुत्र स्व0 उदा एवं वसीयती उत्तराधिकारी स्व0 रामकंवरी बेवा रामदेवा जाति चमार निवासी ग्राम गलाना तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।

––अपीलान्ट

बनाम

1. छोटू पुत्र स्व0 गणेशराम जी जाति चमार निवासी ग्राम गलाना हाल निवासी ग्राम सुवाणा तहसील दीगोद जिला कोटा ।
2. रामपाल पुत्र स्व0 गोपाल जी जाति मीणा (मृतक) जरिये कायममुकामान :–
   2/1. श्रीमती भूली बाई बेवा रामपाल जाति मीणा ।
   2/2. रामनिवास आत्मज स्व0 रामपाल जाति मीणा ।
   2/3. लोकेश आत्मज स्व0 रामपाल जाति मीणा ।
   2/4. मैना बाई पुत्री स्व0 रामपाल जाति मीणा नाबालिगान जरिये वली माता श्रीमती भूली बाई बेवा रामपाल जाति मीणा निवासीगण ग्राम तूमडा तहसील कनवास जिला कोटा
   2/5. रामभरोसी पुत्री स्व0 रामपाल जाति मीणा ।
   2/6. सोनू बाई पुत्री स्व0 रामपाल जाति मीणा निवासीगण ग्राम गिरधरपुरा तहसील दीगोद जिला कोटा ।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।

––रेस्पोडेन्ट

उपस्थित :– 1. श्री चेतन कुमार पाराशर, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से अपील संख्या 17/229 ।
2. श्री द्वारका लाल नागर, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट की ओर से अपील संख्या 17/229 में अपील संख्या 17/523 में अपीलान्ट की ओर से ।
3. श्री विद्याशंकर गोस्वामी, रेस्पोडेन्ट कम की ओर से अपील संख्या 17/523 में

दिनांकः 20.03.2018

निर्णय

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त दोनों अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 विरूद्ध निर्णय एवं डिक्री दिनांक 19.04.2017 न्यायालय सहायक कार्यपालक दण्डनायक मजिस्ट्रेट (मुख्यालय), कोटा जिला कोटा के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2. उक्त दोनों अपीलें समान प्रकृति की होने से तथा समान पक्षकार होने तथा एक कॉस आब्जेक्शन अपील होने तथा दूसरी मुख्य अपील होने से तथा एक ही वादग्रस्त आराजी की होने से उक्त दोनों अपलों का निस्तारण इस एकल निर्णय से किया जा रहा है । निर्णय की प्रति अलग–अलग संलग्न की जावे ।

3. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादी रेस्पोडेन्ट तहसीलदार लाडपुरा ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 175 के अन्तर्गत वाद प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम गलाना तहसील लाडपुरा जिला कोटा की आराजी पुराने खसरा नम्बर 453 की कुल 26 बीघा 19 बिस्वा भूमि स्थित है । उक्त भूमि उक्त भूमि मृतक उदा एवं रामदेवा पुत्रान् कजोड जाति चमार के खातेदारी की भूमि थी । उदा व रामदेवा द्वारा उक्त भूमि में से 10 बीघा भूमि उत्तरवर्ती को दिनांक 24.06.70 के पंजीकृत विकय पत्र के जरिये मृतक गोपाल पुत्र माधो मीणा को हस्तान्तरित करके 10 बीघा भूमि पर बेचान से ही कब्जा संभला दिया तब से ही गोपाल उसके द्वारा कयशुदा 10 बीघा भूमि पर काबिज रहा और उसकी मृत्यु के बाद 10 बीघा भूमि पर मृतक के वारिसान काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे हैं । मृतक उदा एवं रामदेवा अनुसूचित जाति के व्यक्तियों द्वारा अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति गोपाल मीणा के पक्ष में किया गया विवादित 10 बीघा भूमि का हस्तान्तरण धारा 42 बी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों के विपरीत होने से कानूनन निरर्थक एवं प्रभावशून्य है । यह कि धारा 175 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने की मियाद को राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की तृतीय शिडयूल की कम संख्या 66 को सन् 1981 के अधिनियम संख्या 14क के द्वारा संशोधित कर दिनांक 04.09.1981 से 12 वर्ष की मियाद के स्थान पर 30 वर्ष कर देने से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र प्रार्थी द्वारा अवधि मध्य एवं उचित न्याय शुल्क पर प्रस्तुत किया जा रहा है ।

4. अतः पुराना खसरा नम्बर 453 की कुल भूमि में से 10 बीघा उत्तरीवर्ती विवादित भूमि जिसका नया खसरा नम्बर 683 रकबा 1.65 हैक्टर कायम किया है वाके ग्राम गलाना तहसील लाडपुरा जिला कोटा से अप्रार्थी कम 4/1 रामपाल मीणा तथा अप्रार्थी कम 4/2 नन्दा मीणा के नाम का खातेदारी इन्द्राज प्रभावशून्य होने से निरस्त फरमाया जाकर अप्रार्थीगण को विवादित 1.65 हैक्टर भूमि वाके ग्राम गलाना से बेदखल किया जाकर एवं विवादित भूमि को सिवायचक दर्ज किये जाने का आदेश पारित किया जावे ।

अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय एंव डिक्री दिनांक 19.04.2017 के द्वारा वादी तहसीलदार लाडपुरा द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 175 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार करते हुए प्रतिवादी कम 4 का नाम राजस्व रिकॉर्ड से विलोपित करते हुए उक्त भूमि राजकीय खाते में सिवायचक दर्ज कर उक्त भूमि को कब्जे राज लेकर रिसीवर के माध्यम से काश्त कराने की व्यवस्था सुनिश्चित कराने का निर्णय एंव डिक्री पारित की ।

6. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 19.04.2017 से व्यथित होकर अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर अपील अपीलान्ट स्वीकार करने एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री निरस्त करने का निवेदन किया ।

7. अपील अपीलान्ट रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

8. अपील संख्या 17/229 में अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और कथन किया कि तत्कालीन सेटलमेंट द्वारा उक्त पुराने खसरा नम्बर 453 की 10 बीघा 19 बिस्वा भूमि का नया खसरा नम्बर 683 रकबा 1.65 हैक्टर कायम करके अवैध अनाधिकृत तरीके से एक व्यक्ति मृतक गोपाल मीना के खाते अंकित कर दिया गया । राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधान धारा 42 बी के उक्त बेचान प्रावधानों के प्रतिकूल एवं कानूनन निरर्थक एवं प्रभावशून्य होने से उक्त विवाद यह उभरा कि अनुसूचित जाति का व्यक्ति अनुसूचित में ही भूमि का बेचान व हस्तान्तरण कर सकता है अन्यथा नहीं इसी प्रकार अनुसूचित जनजाति वाला अपनी ही जाति में विक्रय करता है तो धारा 175 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रावधान अमल में नहीं लाया जा सकेगा अन्यथा यह प्रावधान लागू होकर भूमि का विक्रय करने वाले और भूमि को कय कराने वाले से भूमि का हरण कर सिवायचक भूमि दर्ज कर ली जावेगी । पैरा 07 में अंकित बावत प्रावधानों के सर्जन के समय ऐसी कार्यवाही की मियाद राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की तृतीय शिडयूल सं0 66 को सन् 1981 के अधिनियम संख्या 14 क के द्वारा संशोधित कर दिनांक 04.09.1981 से 12 वर्ष की मियाद के स्थान पर 30 वर्ष कर दिया गया जबकि भूमि का बेचान वर्ष 1970 में किया गया है और प्रावधान में परिवर्तन 1981 से कर लगाू किया गया है जो कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अनुसार तत्कालीन रूप से उपयोगी और प्रावर्तनीय नहीं होता है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस गंभीरतथ्य पर मस्तिष्क का प्रयोग न करते हुए आदेश पारित कर दिया । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जहॉ राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 42 के प्रावधान का प्रवर्तन कठोरता से कर डाला जबकि अधीनस्थ न्यायालय को वर्तमान व भविष्य की उपधारणाओं को ध्यान में रखकर किया जाना था क्योंकि उक्त वादग्रस्त आराजी के विकेता तथा केता दोनों ही वर्तमान में धरती पर मौजूद नहीं है ऐसी भूमि जो अपीलान्ट और रेस्पोडेन्ट कम 2 की पैतृक कब्जा काश्त की रही है को राजकोष/सिवाय चक किये जाने का आदेश पारित करने में त्रुटि की है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 19.04.2017 निरस्त फरमाया जावे एवं सिवायचक के स्थान पर अपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्ट कम 2 के नाम 1/2-1/2 खातेदारी में दर्ज करने के आदेश, बाद उक्त आदेश निरस्त फरमया जावे ।

9. अपील संख्या 17/523 में अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपने कॉस अपील में कहे गये कथनों को दोहराया और निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा धारा 175 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रार्थना पत्र को दावा मानकर तनकीयात कायम की गई तथा प्रार्थी सरकार द्वारा दस्तावेजी साक्ष्य पेश किये और कोई मौखिक साक्ष्य पेश नहीं किया । गोपाल केता

मृत्यु के पश्चात् आराजी खसरा नम्बर 683 की वादग्रस्त आराजी मृतक गोपाल के वारिसान उसके पुत्र रामपाल तथा नन्दा एवं माता बिरधी बाई व बहिन डाली बाई के खाते अंकित कर दी गई इसका दस्तावेज जमाबन्दी भी रिकॉर्ड पर है किन्तु अधीनस्थ न्यायालय में बिरधी बाई व डाली बाई को प्रकरण में पक्षकार नहीं बनाया इसलिए आवश्यक पक्षकार के अभाव में धारा 175 का प्रकरण मेन्टेनेबल नहीं था । इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय एवं डिक्री पारित की गई है वह त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः कॉस आब्जेक्शन एवं अपील स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री निरस्त फरमाया जावे और साथ ही मूल अपील संख्या 229/2017 को भी निर्णित फरमाया जावे ।

10. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड का अवलोकन किया । वादग्रस्त आराजी पुराने खसरा नम्बर 453 की 10 बीघा 19 बिस्वा भूमि का नया खसरा नम्बर 683 रकबा 1.65 हैक्टर भूमि सेटलमेंट ने रजिस्टर्ड बेचान पत्र के आधार पर मृतक गोपाल मीना के खाते अंकित कर दिया गया । राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधान धारा 42 बी के उक्त बेचान प्रावधानों के प्रतिकूल एवं कानूनन निरर्थक एवं प्रभावशून्य होने से उक्त विवाद यह उभरा कि अनुसूचित जाति का व्यक्ति अनुसूचित में ही भूमि का बेचान व हस्तान्तरण कर सकता है अन्यथा नहीं इसी प्रकार अनुसूचित जनजाति वाला अपनी ही जाति में विक्रय करता है तो धारा 175 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रावधान अमल में नहीं लाया जा सकेगा अन्यथा यह प्रावधान लागू होकर भूमि का विक्रय करने वाले और भूमि को क्रय कराने वाले से भूमि का हरण कर सिवायचक भूमि दर्ज कर ली जावेगी । पैरा 07 में अंकित बात प्रावधानों के सर्जन के समय ऐसी कार्यवाही की मियाद राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की तृतीय शिडयूल सं0 66 को सन् 1981 के अधिनियम संख्या 14 क के द्वारा संशोधित कर दिनांक 04.09.1981 से 12 वर्ष की मियाद के स्थान पर 30 वर्ष कर दिया गया जबकि भूमि का बेचान वर्ष 1970 में किया गया है और प्रावधान में परिवर्तन 1981 से कर लागू किया गया है जो कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अनुसार तत्कालीन रूप से उपयोगी और प्रावर्तनीय नहीं होता है । इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय एवं डिक्री पारित की है वह त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है ।

11. प्रस्तुत प्रकरण में एक इकरारनामा पेश किया है जिसमें आराजी खसरा नम्बर 683 की भूमि पर न्यायालय द्वारा रिसीवर नियुक्त रखा है यदि प्रकरण निर्णय पक्षकारान के पक्ष में होता है तो रिसीवर के पास जमाशुदा कुल राशि में से आधी राशि प्रथम पक्षकार को और आधी राशि द्वितीय पक्षकार को प्राप्त करने का अधिकार होगा । हम सीपीसी की धारा 151 में विनिर्दिष्ट शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त जमा रिसीवर की राशि दोनों पक्षकारान को आधी –आधी दिये जाने का आदेश दिया जाना न्यायहित में उचित समझते हैं । अतः दोनों पक्षकारान को रिसीवर के पास जमाशुदा राशि आधी–आधी दे दी जावे ।

12. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा धारा 175 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रार्थना पत्र को दावा मानकर तनकीयात कायम की गई तथा प्रार्थी सरकार द्वारा दस्तावेजी साक्ष्य पेश किये और कोई मौखिक साक्ष्य पेश नहीं किया । गोपाल क्रेता की मृत्यु के पश्चात् आराजी खसरा नम्बर 683 की वादग्रस्त आराजी मृतक गोपाल के वारिसान उसके पुत्र रामपाल तथा नन्दा एवं माता बिरधी बाई व बहिन डाली बाई के खाते अंकित कर दी गई इसका दस्तावेज जमाबन्दी भी रिकॉर्ड पर है किन्तु अधीनस्थ न्यायालय में बिरधी बाई व डाली बाई को प्रकरण में पक्षकार नहीं बनाया इसलिए आवश्यक पक्षकार के अभाव में धारा 175 का प्रकरण मेन्टेनेबल नहीं था । इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय एवं डिक्री पारित की गई है वह त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है ।

13. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट एवं क्रॉस आब्जेक्शन स्वीकार किये जाते हैं। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिकी दिनांक 19.04.2017 निरस्त किया जाता है । वादग्रस्त आराजी सिवायचक के स्थान पर अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट कम 2 के नाम 1/2–1/2 खातेदारी में दर्ज की जावे ।

14. निर्णय आज दिनांक 20.03.2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(पंकज कुमार ओझा)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

Judl/Govt.
Parrt 1V - B

अपील में डिक्री

(आदेश 41 रूल 35, जाप्ता दीवानी)

राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

बइजलास पंकज कुमार ओझा, आर.ए.एस.

अपील संख्या : 17 / 229

छोटू लाल आत्मज गणेश जाति चमार निवासी ग्राम गलाना तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।

—अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, लाडपुरा ।
2. जानकी लाल आत्मज गणेश जाति चमार निवासी ग्राम गलाना तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
3. रामपाल आत्मज स्व0 गोपाल जाति मीणा (मृतक) जरिये कायममुकामान :–
   3 / 1. श्रीमती भूली बाई बेवा रामपाल जाति मीणा ।
   3 / 2. रामनिवास आत्मज स्व0 रामपाल जाति मीणा ।
   3 / 3. लोकेश आत्मज स्व0 रामपाल जाति मीणा ।
   3 / 4. मैना बाई पुत्री स्व0 रामपाल जाति मीणा ।
   3 / 5. रामभरोसी पुत्री स्व0 रामपाल जाति मीणा ।
   3 / 6. सोनू बाई पुत्री स्व0 रामपाल जाति मीणा निवासीगण ग्राम गिरधरपुरा तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
4. नन्दा आत्मज स्व0 गोपाल जाति मीणा निवासी ग्राम तूमडा तहसील कनवास जिला कोटा।

—प्रत्यर्थी

अपील संख्या : 17 / 523

जानकी लाल पुत्र स्व0 उदा एवं वसीयती उत्तराधिकारी स्व0 रामकंवरी बेवा रामदेवा जाति चमार निवासी ग्राम गलाना तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।

—अपीलार्थी

बनाम

1. छोटू पुत्र स्व0 गणेशराम जी जाति चमार निवासी ग्राम गलाना हाल निवासी ग्राम सुवाणा तहसील दीगोद जिला कोटा ।
2. रामपाल पुत्र स्व0 गोपाल जी जाति मीणा (मृतक) जरिये कायममुकामान :—
   2/1. श्रीमती भूली बाई बेवा रामपाल जाति मीणा ।
   2/2. रामनिवास आत्मज स्व0 रामपाल जाति मीणा ।
   2/3. लोकेश आत्मज स्व0 रामपाल जाति मीणा ।
   2/4. मैना बाई पुत्री स्व0 रामपाल जाति मीणा नाबालिगान जरिये वली माता श्रीमती भूली बाई बेवा रामपाल जाति मीणा निवासीगण ग्राम तूमडा तहसील कनवास जिला कोटा
   2/5. रामभरोसी पुत्री स्व0 रामपाल जाति मीणा ।
   2/6. सोनू बाई पुत्री स्व0 रामपाल जाति मीणा निवासीगण ग्राम गिरधरपुरा तहसील दीगोद जिला कोटा ।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।

—प्रत्यर्थी

बनाराजगी आदेश निर्णय एवं डिक्री दिनांक 19.04.2017 अधीनस्थ न्यायालय सहायक कार्यपालक दण्डनायक मजिस्ट्रेट (मुख्यालय), कोटा जिला कोटा ।

अन्तर्गत वाद संख्याः 568दावा/2009

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, लाडपुरा जिला कोटा ।

—वादी

बनाम

1. उदा पुत्र कजोड मृतक जरिये कायममुकामान :—
   1/1. जानकी लाल पुत्र स्व0 उदा जाति चमार ।
   1/2. गणेश पुत्र उदा जाति चमार ।
   2/1. मु0 सुक्खी बाई बेवा गणेश जाति चमार ।
   2/2. छोटू पुत्र गणेश जाति चमार ।
   3/1. रामदेवा पुत्र कजोड मृतक एवं मुस0 स्व0 रामकंवरी बेवा रामदेवा (मृतक) जरिये वारिस वसीयती उत्तराधिकारी जानकी लाल पुत्र स्व0 उदा जाति चमार निवासीगण गलाना, पटवार हल्का गन्दीफली, तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
4. गोपाल पुत्र श्री माधो जाति मीणा जरिये कायममुकामान :—
   4/1. रामपाल पुत्र स्व0 श्री गोपाल जाति मीणा निवासी तूमडा तहसील सांगोद जिला कोटा ।

जिला

4/1/अ श्रीमती भूली बाई पत्नी रामपाल जाति मीणा निवासी तूमडा तहसील सांगोद जिला कोटा ।

4/1/ ब. रामनिवास पुत्र रामपाल जाति मीणा निवासी तूमडा तहसील सांगोद जिला कोटा।

4/1/ स. लोकेश नाबा0 पुत्र रामपाल जाति मीणा निवासी तूमडा तहसील सांगोद जिला कोटा।

4/1/ द. रामभरोसी पुत्री रामपाल जाति मीणा निवासी गिरधरपुरा तहसील दीगोद जिला कोटा।

4/1/ य. सोनू पुत्री रामपाल जाति मीणा निवासी गिरधरपुरा तहसील दीगोद जिला कोटा ।

4/1/ र. मैना नाबा0 पुत्री रामपाल जाति मीणा निवासी गिरधरपुरा तहसील दीगोद जिला कोटा ।

4/2. नन्दा पुत्र स्व0 गोपाल जाति मीणा निवासी तूमडा तहसील सांगोद जिला कोटा ।

——प्रतिवादी

अपील का ज्ञापन

1. **उक्त अपीलार्थी उपर्युक्त वाद में न्यायालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (मुख्यालय) कोटा जिला कोटा .के निर्णय एवं डिकी दिनांक 19.04.2017 की अपील न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा में निम्नलिखित कारणों से करता है, अर्थात...** कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जावे ।

2. यह अपील तारीख 20.03.2018 को बहाजरी अपीलार्थी की ओर से अभिभाषक श्री चेतन कुमार पाराशर एवं रेस्पोडेन्ट की ओर से अभिभाषक श्री द्वारका लाल नागर अपील संख्या 17/523 अपीलान्ट की ओर से एवं अपील संख्या 17/523 में रेस्पोडेन्ट की ओर से अभिभाषक श्री विद्याशंकर गोस्वामी उपस्थित आने पर यह आदेश दिया कि अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिकी दिनांक 19.04.2017 निरस्त किया जाता है ।

3. इस अपील के खर्चे एवं मूल वाद के खर्चे पक्षकारान द्वारा स्वयं वहन किये जाने है

यह डिकी आज तारीख 20.03.2018 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगा कर दी गई।

(पंकज कुमार ओझा)

राजस्व अपील प्राधिकारी, को

मुहर